R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 7

जनवरी 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2014 में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में हुई गतिविधियों के प्रमुख अंश

जनवरी 2014

- रिज़र्व बैंक ने मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) के संबंध में सोने के आभूषण की जमानत पर दिए जाने वाले ऋण; एलटीवी के परिकलन की दृष्टि से सोने के मूल्य के मानकीकरण; सोने के स्वामित्व का अनुपात सत्यापन; नीलामी प्रक्रिया और क्रियाविधि आदि के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए जारी किए गए अनुदेशों में संशोधन किया।
- रिज़र्व बैंक ने अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र रखने वाली संस्थाओं को दिए गए बैंक एक्सपोज़रों के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित कीं।

फरवरी 2014

- रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए उनके स्वामित्व वाले समूह (समूह संस्थाएं) में शामिल संस्थाओं से जुड़े अंतःसमूह लेनदेनों और एक्सपोज़रों (आईटीई) पर दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय आईटीई पर मात्रात्मक सीमाओं और गैर-वित्तीय आईटीई के संबंध में विवेकपूर्ण उपायों को शामिल किया गया है ताकि बैंक सुरक्षित व सही ढंग से आईटीई के साथ कार्य कर सकें तथा आईटीई से पैदा होने वाले संकेंद्रण व संक्रामक जोखिमों से बचाया जा सके।
- रिज़र्व बैंक ने आम जनता को सूचित किया कि वे 2005 से पहले छपे बैंक नोटों को बैंक शाखाओं में बदलें। तथापि, आम जनता अंतिम तारीख के बाद भी उन बैंक शाखाओं में पुरानी श्रृंखला के नोटों को बदल सकती है जहां उनका खाता है।

मार्च 2014

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने ''अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों के पुनर्जीवन संबंधी रूपरेखा'' जारी की। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत (i) परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण (ii) प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री (iii) अन्य बैंकों से/को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की खरीद/बिक्री (iv) प्रति-चक्रीय/अस्थायी प्रावधानों का उपयोग (v) प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋण आदि शामिल हैं।
- बैंकों को सूचित किया गया कि चूंकि ''जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष (द फंड) योजना 2014'' को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसे राजकीय गजट में अधिसूचित करने हेतु भारत सरकार को भेजा गया है, अतः वे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहें। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे ''जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष योजना 2014'' के संबंध में प्राप्त होने वाले पत्रादि/प्रश्नों के लिए एकल संपर्क बिंदु स्थापित करें।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को कतिपय शर्तों के अधीन औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए भौतिक आधार कार्ड/पत्र, जिसमें नाम, पता और आधार संख्या आदि ब्योरे उपलब्ध हैं, का 'औपचारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किया जाना जारी रहेगा, चाहे वह डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ हो या ई-केवाईसी प्रक्रिया से।
- बैंकों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) को सूचित किया गया कि वे सूचना सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं (इन्सिडेंट्स) की रिपोर्ट बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा विकसित इन्सिडेंट ट्रकिंग प्लैटफार्म पर प्रस्तुत करें। इस प्लैटफार्म के कारण बैंक सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट अज्ञात रूप से भेज सकते हैं; इससे बैंकों द्वारा भेजी गई सूचना को गुप्त रखा जा सकता है। इस प्लैटफार्म को इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क (इनफिनेट) पर होस्ट किया जाएगा और इसका ऐक्सस केवल संबंधित बैंकों के सीआईएसओ को ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- मालों व सॉफ्टवेयर के निर्यात पर बेहतर ढंग से निगरानी करने तथा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों द्वारा भेजी जानी वाली विभिन्न विवरणियों के लिए एकल प्लैटफार्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से निर्यात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) नामक आईटी-आधारित एक व्यापक प्रणाली शुरू की गई है। हरित पहल की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे कागजी रिपोर्टिंग की अपेक्षा काफी हद तक कम हो जाएगी।

अप्रैल 2014

- रिज़र्व बैंक ने दो आवेदकों, यथा आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड, को 'निजी क्षेत्र में नए बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देश' के अंतर्गत बैंक की स्थापना करने हेतु ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया।
- गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की एक अलग श्रेणी तैयार की गई। इस एनओएफएचसी को गैर-जमाराशि स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय विभाग (डीएनबीएस) के पास पंजीकृत किया जाएगा। एनओएफएचसी के विनियामक व पर्यवेक्षी ढांचे, जिसके अंतर्गत विवेकपूर्ण मानदंड और विवरणियों का प्रस्तुतीकरण शामिल है, का नियंत्रण बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा जारी अनुदेशों के माध्यम से किया जाएगा।
- रिज़र्व बैंक ने आपाती साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) जारी करने वाले बैंकों और स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) देने वाले बैंकों को सूचित किया कि वे धोखाधड़ी के जोखिमों से बचने/जीएमएल उधारकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कतिपय अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के क्रेडिट गारंटी कवर एवं सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीकृत ऋण के अंश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए शून्य जोखिम भार को ध्यान में रखें तथा ऐसे एमएसई उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों का कीमत-निर्धारण विभेदक ब्याज दर के हिसाब से करें। तथापि, ऐसी विभेदक ब्याज दर किसी भी मामले में बैंक की आधार दर से कम न हो जाए।

- रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष : श्री पी. विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक) द्वारा प्रमुख भारतीय रुपया ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा बेंचमार्कों की गुणवत्ता में सुधार लाने, उनके लिए कार्यविधि और नियंत्रण ढांचा तैयार करने के लिए सिफारिश किए गए उपायों/सिद्धांतों को स्वीकृति दे दी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) को सूचित किया कि वे भारतीय रुपया ब्याज दर एवं विदेशी मुद्रा बेंचमार्क के लिए एडिमनिस्ट्रेटर बनें और उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- रिज़र्व बैंक ने 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' योजना नामक एक नई योजना के अंतर्गत निवेशों का एक ढांचा तैयार किया है।

मई 2014

- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि किसी भी आयु का नाबालिग अपने नैसर्गिक या कानूनी अभिभावक के जरिए बचत/मीयादी/आवर्ती बैंक जमा खाता खोल सकेगा; यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले नाबालिग अलग से अपना बैंक खाता खोलना और उसका परिचालन करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। नाबालिग के बालिग होने पर उसे अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि वह खाता किसी नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा परिचालित किया जा रहा हो तो उस पूर्व नाबालिग से नए सिरे से परिचालन संबंधी अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें सभी परिचालनगत प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने सभी मौजूदा एटीएम/भावी एटीएम पर रैंप लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं ताकि पहियों वाली कुर्सी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति/विकलांग व्यक्ति उनका उपयोग आसानी से कर सकें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक शाखाओं, जहां संभव हो, के प्रवेश द्वार पर भी रैंप लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं जिससे विकलांग व्यक्तियों/पहियों वाली कुर्सी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को बैंक शाखा में आकर कारोबार करने में कोई कठिनाई का सामना करना न पड़े। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे 01 जुलाई 2014 से चालू किए जाने वाले सभी नए एटीएम टॉकिंग एटीएम हों और उनमें ब्रेल की-पैड की सुविधा भी हो। साथ ही, उन्हें सूचित किया गया है कि वे अपनी सभी शाखाओं में मैग्निफाइंग ग्लास उपलब्ध कराएं ताकि मंद दृष्टि वाले व्यक्ति उनका उपयोग कर बैंकिंग लेनदेन सुगमतापूर्वक कर सकें।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे वैयक्तिक उधारकर्ताओं को दिए गए अस्थायी दर वाले सभी सावधि ऋणों पर किसी भी प्रकार का पुरोबंध (फोरक्लोशर) प्रभार/पूर्व-अदायगी दंडात्मक राशि प्रभारित न करें।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) सहित सभी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने हेतु प्रभारित किए जाने वाले दंडात्मक राशि पर भी रोक लगा दी है।
- जो भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/समनुषंगी संस्थाएं ऐसे वित्तीय और व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) उत्पादों की पेशकश करना चाहती हों जिनके लिए देशी बाज़ार के स्तर पर रिज़र्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट अनुमति नहीं दी गई है, वे उन उत्पादों की पेशकश भारत के बाहर सुस्थापित वित्तीय केंद्रों, जैसे न्यू यार्क, लंदन, सिंगापुर, हांग कांग, फ्रैंकफर्ट, दुबई आदि में कर सकती हैं।
- 'भरतीय महिला बैंक लिमिटेड' का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।

जून 2014

- बैंक खाता खोलने के संबंध में निर्धारित ञ्अपने ग्राहक को जानिएट (केवाईसी) मानदंडों में ञ्पते का प्रमाणट प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को निम्नानुसार सरल बनाया गया : (क) ग्राहक बैंक खाता खोलते समय या आवधिक रूप से किए जाने वाले अद्यतन के दौरान पते के प्रमाणस्वरूप केवल एक दस्तावेजी प्रमाण (चाहे वर्तमान पते के लिए हो या स्थायी पते के लिए) प्रस्तुत कर सकता है; (ख) यदि ग्राहक द्वारा पते के संबंध में प्रस्तुत किया गया प्रमाण उसके स्थानीय पते या उस पते से संबंधित नहीं हैं जहां वह वर्तमान समय में रह रहा/रही है तो बैंक उस ग्राहक के साथ पत्राचार हेतु स्थानीय पते के संबंध में उससे एक घोषणा-पत्र प्राप्त करने पर निर्णय ले सकता है।
- सर्वसंबंधितों की टिप्पणी और राय पर विचार-विमर्श करने के बाद चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी के साधनों और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।
- राज्य सरकारों को दिए जा रहे विशेष अर्थोपाय अग्रिमों का नाम 23 जून 2014 से बदलकर विशेष आहरण सुविधा किया गया है।
- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक अंश के रूप में सेवाओं की सुपुर्दगी से संबंधित 'विनियामक अनुमोदनों की समय-सीमा' और 'नगरिक चार्टर' की घोषणा की गई।
- विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे सभी निवासी व अनिवासी भारतीयों (पाकिस्तान व बंगलादेश के नागरिकों और पाकिस्तान व बंगलादेश से आने वाले और को जाने वाले सभी यात्रीयों को छोड़कर) को देश छोड़ते समय '25,000 तक की भारतीय मुद्रा नोट ले जाने की अनुमति दें।
- प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-। के बैंकों को सूचित किया गया कि वे अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों स्वरूप के लेनदेनों के मामले में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 125,000 अमेरिकी डॉलर तक का धनप्रेषण करने की अनुमति प्रदान करें।
- रिज़र्व बैंक ने जमा स्वीकारने वाली और गैर-जमा स्वीकारने वाली दोनों प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया कि किसी एनबीएफसी के शेयरों के अधिग्रहण/अर्जन; किसी अन्य संस्था के साथ एनबीएफसी के विलयन/समामेलन; किसी एनबीएफसी के साथ अन्य संस्था के विलयन/समामेलन के ऐसे मामलों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना ज़रूरी है जहां अधिग्रहणकर्ता/अन्य संस्था को एनबीएफसी का नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, या एनबीएफसी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण/अंतरण हो जाएगा।
- रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि 14 जुलाई 2014 से तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) में 'संकर' और 'भावी मूल्य दिनांकित लेनदेन' आदि विशेषताएं उपलब्ध कराई जाएं। इस 'संकर' विशेषता को इस प्रकार कान्फिगर किया जाएगा कि प्रत्येक पांच मिनट में समायोजन (ऑफसेटिंग) किया जा सके।
- रिज़र्व बैंक ने भारत में वाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की स्थापना व परिचालन हेतु तीन गैर-बैंक संस्थाओं, यथा- (i) बीटीआई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर, (ii) एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, कोलकाता, (iii) रिद्धि सिद्धि बुलियन्स लिमिटेड, मुंबई, को प्राधिकरण प्रमाण-पत्र जारी किए। इससे पूर्व चार संस्थाओं को डब्ल्यूएलए के रूप में परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, ये हैं टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन्स लिमिटेड, मुंबई; प्रिज़म पेमेंट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई; मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, कोच्ची और वकरांगी लिमिटेड, मुंबई।

जुलाई 2014

- रिज़र्व बैंक ने ''भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग'' और ''लघु बैंकों की लाइसेंसिंग'' संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारक पार्टियों और आम जनता से उक्त दोनों दिशानिर्देशों पर राय/टिप्पणी मांगी।
- बैंकों को ऋण संरचना और पुनर्वित्तपोषण में लचीलापन तथा विनियामक अपेक्षाओं जैसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) में छूट के रूप में कतिपय परिचालनात्मक दिशानिर्देश और प्रोत्साहन दिए गए।
- रिज़र्व बैंक ने ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बैंक (डी-एसआईबी) के कारोबार संबंधी ढांचा'' जारी किया।
- बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे माह में कम से कम एक बार वित्तीय साक्षरता शिविर चलाएं।
- व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना व परिचालन से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया गया और इस संबंध में आम जनता/सर्वसंबंधितों की राय मांगी गई।

अगस्त 2014

- रिज़र्व बैंक ने मौजूदा परियोजना ऋणों के लिए संपूर्ण या आंशिक अंतरण (टेकआउट) वित्तपोषण के माध्यम से पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी, जिसके लिए अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई पूर्व-निर्धारित करार करने और दीर्घकालिक चुकौती अवधि तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के वित्तपोषण को मौजूदा व अधिग्रहण करने वाले ऋणदाताओं की बहियों में पुनर्रचना की कोटि में शामिल नहीं किया जाएगा, बशर्ते इस पर कतिपय शर्तें लागू होंगी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया है कि ग्राहकों द्वारा किसी सेवा के संबंध में 'कार्ड नॉट प्रेज़ेंट' (सीएनपी) लेनदेनों के माध्यम से किए गए भुगतानों के मामले में अनिवार्य अतिरिक्त अधिप्रमाणन प्रक्रिया का पालन न करने वाली संस्थाओं को वे तत्काल रोकें।
- रिज़र्व बैंक ने यात्रा के प्रयोजनों के लिए पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड बेचने वाले प्राधिकृत व्यापारियों/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को सूचित किया है कि ''समुचित सावधानी'' और ''अपने ग्राहक को जानिए'' से संबंधित मानकों का उतने ही कड़ाई से पालन करें जितना कि वे अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा नोटों/यात्री चेकों की बिक्री के मामले में पालन करते हों।
- उद्योग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों और बंधक गारंटी उद्योग के विकास पर पड़ने वाले दीर्घकालिक लाभकारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ''बंधक गारंटी कंपनियों (एमजीसी) के पंजीकरण एवं परिचालन संबंधी दिशानिर्देश'' में कतिपय संशोधन किए गए हैं। पूंजी पर्याप्तता; आकस्मिक आरक्षित निधि; निवेशों के वर्गीकरण; इन्वोक की गई गारंटियों से होने वाली हानि के लिए किए जाने वाले प्रावधान आदि के संबंध में संशोधन किए गए हैं।

सितंबर 2014

- आम जनता के बीच बैंक खाता खोलने के विषय में सजगता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के सरलीकरण के संदर्भ में कुछ सामान्य प्रश्नों समेत एक पोस्टर और एक पुस्तिका (www.rbi.org.in पर उपलब्ध) जारी की। सरलीकरण के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं - पहचान और पते के प्रमाण के लिए एकल दस्तावेज, वर्तमान पते के लिए पते के अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कम जोखिम ग्राहकों के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेजों में छूट और केवाईसी का आवधिक अद्यतन।
- रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी समूह की एकल उधारकर्ता कंपनी के इरादतन चूक संबंधी मामले में कार्रवाई करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कंपनी विशेष के ट्रैक रिकॉर्ड पर उसके उधारदाताओं के प्रति उसके चुकौती निष्पादन को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में जहां समूह के भीतर की कंपनियों द्वारा इरादतन चूककर्ता इकाइयों की और से दी गई जमानत को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्मोचित किए जाने पर नकार दिया गया हो तब समूह की ऐसी कंपनियों को भी इरादतन चूककर्ताओं के रूप में माना जाएगा।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की उम्र की अधिकतम सीमा 70 वर्ष होगी अर्थात् इसके बाद कोई भी अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा।
- रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों / विदेशी बैंकों (ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर) सूचित किया है कि उनके द्वारा विशिष्ट निर्धारित लिक्विडिटी रिटर्नों को प्रस्तुत किया जाए ताकि दबावग्रस्त स्थितियों के अंतर्गत भावी लिक्विडिटी की समस्याओं से उबरने पर निगरानी रखी जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे ग्राहकों के साथ खाता आधारित संबंध शुरू करते समय समुचित सावधानी के उपायों का अनुपालन करें, जिनमें शामिल हैं विश्वसनीय और स्वतंत्र सूचना एवं डेटा या दस्तावेज़ीकरण के आधार पर ग्राहक और हिताधिकारी स्वामी को पहचानना तथा उनका सत्यापन करना, उच्च/ मध्यम/ निम्न जोखिम वर्ग के मौजूदा ग्राहकों के मामलों में क्रमशः दो/ आठ/ दस वर्षों के अंतराल पर समुचित सावधानी संबंधी उपाय करना, मौजूदा ग्राहकों के लिए इस प्रकार की समुचित सावधानी बरतना जारी रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक के ये लेन देन उनके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हों और जहां ज़रूरी है, निधि स्रोतों से मेल खाते हों।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न केंद्र/राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत खोले गए खाते 'न्यूनतम शेष' तथा 'कुल जमा सीमा' के प्रतिबंधों से मुक्त रखे जाये।
- वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित समय सीमा के साथ ऋण प्रस्तावों के निपटान की प्रणाली की सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करें और निर्धारित समयावधि से अधिक अवधि के लिए प्रलंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए उचित निगरानी व्यवस्था स्थापित करें।
- श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक जो मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता हैं वे निम्नलिखित शर्तों के तहत भारतीय रुपए में ऋण दे सकते हैं i) उधारदाता द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से स्वाप के मार्फत भारतीय रुपए जुटाए जाने चाहिए।ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार संविदा, मामले के अनुसार, स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के बाबत लागू सभी अन्य शर्तों को पूरा करती हो। iii) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा प्रचलित बाजार शर्तों के अनुरूप हो। iv) भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी स्वाप को कार्यान्वित करने के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता, यदि चाहे, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, भारत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकता है। और v) यह नोट किया जाए कि अनिवासी ईक्विटी होल्डर द्वारा दिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत हैं, से संबंधित हेजिंग व्यवस्था प्रचलित उपबंधों से विनियमित होती रहेगी।

अक्तूबर 2014

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे i)1 नवंबर, 2014 से अपने बचत बैंक खाता धारकों से अन्य बैंकों के एटीएम पर एक माह में किए गए पाँच लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय सहित) चाहे एटीएम किसी भी स्थान पर क्यों न स्थित हो के संबंध में कोई भी शुल्क वसूल न करें। ii) छह महानगरीय केन्द्रों अर्थात मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरुऔर हैदराबाद में स्थित अन्य बैंकों के एटीएम पर किए गए तीन लेनदेन निःशुल्क होंगे। बैंकों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि, वे किसी भी भौगोलिक स्थान पर अन्य बैंक के एटीएम पर अथवा स्वयं के एटीएम पर निर्धारित सीमा से अधिक के प्रति माह निःशुल्क लेनदेन प्रदान कर सकते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानिक क्षेत्र के बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थओं को सूचित किया है कि 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों की पहचान और पते में यदि कोई परिवर्तन न हो तो, शहरी सहकारी बैंकों को आवधिक अद्यतनीकरण के समय उनसे पहचान और पते के नए प्रमाण मांगने की आवश्यकता नही हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक द्वारा इस संबंध में स्वप्रमाणन ही पर्याप्त होगा। ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर वे केवल दस्तावेज (पते का प्रमाण) की सत्यापित प्रति मेल/डाक इत्यादि से भेज सकते हैं। बैंक आवधिक अद्यतनीकरण के समय ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर जोर न दें। आगे, यदि बैंक का कोई मौजूदा ग्राहक जिसके संबंध में केवाईसी अनुपालन हो चुका है, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए नए सिरे से पहचान का प्रमाण और / अथवा पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नवंबर 2014

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए प्रभार वसूल करते समय 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे को गतिविधि आधारित एनबीएफसी विनियमन के रूप में संशोधित किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानिक क्षेत्रीय बैंकों को सूचित किया कि वे चेक प्रस्तुतीकरण/पारित किए जाने और खाता निगरानी कार्यप्रणालियों

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

की समीक्षा करके उन्हें सरल बनाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित स्टाफ/अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक उपायों सहित सभी क्रियाविधिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का सावधानी से अनुपालन किया जा रहा है।

दिसंबर 2014

- रिज़र्व बेंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानिक क्षेत्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी है कि मूलभूत संरचना परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं को कुछ विशिष्ट मानदंडों के अनुसार इन ऋणों के आवधिक पुनः वित्तपोषण के विकल्प के साथ लचीलेपन सहित वर्तमान परियोजना ऋणों को संरचित किया जाए।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वेबसाइट पर भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का उद्देश्य था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु (i) लघु बचत खाते उपलब्ध कराना और (ii) प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान/भुगतान/विप्रेषण सेवाएं प्रदान करना। दिशानिर्देशों में पात्र प्रवर्तक गतिविधियों का दायरा, निधियों का अभिनियोजन, पूंजी अपेक्षा संबंधी मापदंडों को शामिल किया गया है। निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश भी जारी किए गए।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश घोषित किए जिनमें ऐसी प्रणाली स्थापित और परिचालित करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड दर्शाने के अतिरिक्त प्रणाली प्रतिभागी, उनकी भूमिका, लेनदेन प्रक्रिया प्रवाह, निपटान प्रक्रिया के साथ-साथ व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) को परिचालित करने की आवश्यकताओं और मूलभूत सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ।

- रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2014 को जारी वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलएएस) पर अपने दिशानिर्देशों में डब्ल्यूएलए को अनुमति दी कि वे अंतर्राष्टीय क्रेडिट/डेबिट/पूर्वदत्त कार्ड का स्वीकार कर सकते हैं, डब्ल्यूएलए पर अंतरराष्ट्रीय कार्डों के प्रयोग के लिए डाइनेमिक करेंसी कन्वर्जन (डीसीसी) सुविधा के लिए अनुमति दे सकते है, उस प्रायोजक बैंक व्यवस्थाओं से नकदी की आपूर्ति डिलिंक प्राप्त कर सकते है और सूचित किया कि डब्ल्यूएलए परिचालक जो पीएसएस अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत है और जिन्होंने परिचालन की शुरूआत की है; रिज़र्व बैंक को सेवा शुरूकिए जाने की सूचना दें।

- रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस कारोबर के कार्यघण्टे 8.00 से 9.00 तक बढ़ाए और आरटीजीएस का कार्य समाप्ति का समय सप्ताह के दिनों में 20.00 बजे तक बढ़ाया। आरटीजीएस कारोबार की खिडकी शनिवार को 8.00 बजे से 15.30 बजे तक खुली रहेगी। ग्राहक लेनदेन का समाप्ति समय अपरिवर्तित रखा गया है।

2014 में लिए गए मौद्रिक नीतिगत निर्णय

मौद्रिक नीति समीक्षा	चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो रेट	अनुसूचित बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एलडीटीएल) के साथ आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)*	बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि	एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत चलनिधि	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध चलनिधि
तीसरी तिमाही की मौद्रिक नीति समीक्षा 2013, 28 जनवरी 2014	7.75 प्रतिशत से 25 आधार अंकों से बढ़कर 8.00 प्रतिशत	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति 1 अप्रैल 2014	8 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया	कोई परिवर्तन नहीं	बैंकिंग प्रणाली की एनडीटीएल के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि 0.5 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक बढ़ी	एलएएफ़ के अंतर्गत ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत चलनिधि बैंकवार एनडीटीएल 0.5 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत तक घटी	कोई परिवर्तन नहीं
दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 3 जून 2014	8 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	4.0 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	50 आधार अंको से घटकर अपने एलडीटीएल के 23प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत हो गई	7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	कोई परिवर्तन नहीं	शेष पात्र निर्यात ऋण 50 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक घटा, एलडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की विशेष मीयादी रिपो सुविधा शुरूकी गई
तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 5 अगस्त 2014	8 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया	50 आधार अंको से घटकर 22.50 प्रतिशत से 22.0 प्रतिशत	7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत 0.25 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	कोई परिवर्तन नहीं
चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति 30 सितंबर 2014,	8 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया	कोई परिवर्तन नहीं	7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत 0.25 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	बकाया पात्र निर्यात ऋण के 32 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक घटा
पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2 दिसंबर 2014,	8 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया	4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया	कोई परिवर्तन नहीं	7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो के अंतर्गत 0.75 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत 0.25 प्रतिशत पर चलनिधि उपलब्धी बनी रही	कोई परिवर्तन नहीं

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**